न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 27 / 2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री मनीष कुमार बाबानी पुत्र श्री अशोक कुमार, मैसर्स–श्री बालाजी ट्रेडर्स, शॉप नं0 10, सुभाषगंज, अनाज मण्डी, नसीराबाद, अजमेर

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री सन्दीप कुमार अग्रवाल, वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–23.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड घी (डेयरी मिल्क ब्राण्ड) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.08.2023 को 01.45 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–श्री बालाजी ट्रेडर्स, शॉप नं0 10, सुभाषगंज, अनाज मण्डी, नसीराबाद, अजमेरपर पहूँचे श्री मनीष बाबानी पुत्र श्री अशोक कुमार मौके पर उपस्थित मिले मौके पर आम जनता को विक्रय हेतु घी (डेयरी मिल्क ब्राण्ड) के 500 ग्राम वजनी 18 सील्ड पैकेट रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान घी में मिलावट का शक होने पर उसमें से 1 किलो ग्राम के चार सील्ड घी (डेयरी मिल्क ब्राण्ड) वास्ते नमूना जाँच हेतु 1680 / – रूपये श्री मनीष बाबानी पुत्र श्री अशोक कुमार को नगद देकर गवाह श्री दीपक वैष्णव, डेयरी

न्याय निर्णायक अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.), अजमेर

प्रतिनिधी केमिस्ट, अजमेर डेयरी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनीष बाबानीको सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा घी (डेयरी मिल्क ब्राण्ड) के4 सील्ड पैकेट के लेबल तैयारकरने व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–3943 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2023/11732दिनांक 31.08.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./1149/एक्ट/2023/1185 दिनांक 14.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया घी (डेयरी मिल्क ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2024को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मनीष बाबानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को नकारते हुए यह अनुरोध किया कि परिवाद प्रार्थी हरीश कुमार बाबानी के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं कर मनीष कुमार बाबानी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। परिवाद में नोटिस भी मनीष कुमार बाबानी के नाम जारी किया गया है जबकि प्रार्थी हरीश कुमार बाबानी को परिवाद का कोई भी नोटिस आज दिवस तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में हरीश कुमार बाबानी को मिथ्या ही अभियुक्त बनाकर पेश किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उनका कथन है कि बालाजी ट्रेडर्स हरीश कुमार का प्रतिष्ठान नहीं है। वह बालाजी ट्रेडर्स का ना तो प्रोपराईटर, ना भागीदार एवं ना ही मालिक है। परिवादी का ऐसा कृत्य प्रार्थी को हैरान परेशान करने वाला व बेवजह फंसाये जाने का षड़यंत्र है। परिवादी द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.08.2023 प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त पत्र मनीष कुमार बाबानी के नाम जारी किया गया है। जब उक्त पत्र प्रार्थी को प्राप्त ही नहीं हुआ तो वह उक्त अवैध जांच रिपोर्ट को पुनः जांच हेतु भेजने का कैसे निवेदन करता। प्रार्थी को नमूने की जांच रिपोर्ट व सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण नियत समयावधि में जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी असंतुष्टि एवं पर्याप्त सक्षम कार्यवाही नहीं कर सका। जिससे उसके संवैधानिक व विधिक अधिकारों का हनन हुआ है एवं यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।न्याय की मूल अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिरोपित अपराध की सुनवाई का पर्याप्त और समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जबकि विभाग द्वारा प्रेषित डाक प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण प्रार्थी को प्राप्त विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं एवं प्रार्थी नमूने को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु भिजवाये जाने से वंचित रहा है। जांच हेतु लिया गया घी का नमूना डेयरी मिल्क ब्राण्ड का घी है एवं बॉक्स पर भारत सरकार का एगमार्क व

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.), अजमेर

एफएसएसएआई का मार्का भी अंकित है जो कि सम्बन्धित डीलर द्वारा ही बेचा जाता है। यदि उक्त नमूना पुनः जांच हेतु भेजा जाता तो निश्चित रूप से वह सही सिद्ध होता। परिवादी द्वारा डेयरी मिल्क ब्राण्ड घी के विनिर्माता मिल्क गुड एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड को इस परिवाद में किसी भी रूप में अथवा अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इससे जाहिर होता है कि परिवादी उक्त कथित प्रोडक्ट के मालिक से मिला हुआ है एवं वास्तविक अभियुक्त को पकड़ना नहीं चाहता है व येन केन प्रकारेण प्रार्थी के विरूद्ध गलत परिवाद पेश कर उसे दण्डित कराना चाहता है।उन्होने आगे कथन किया कि प्रार्थी बेहद गरीब व्यक्ति है जिस पर पूरा परिवार आश्रित है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। उसे प्रकरण में बेवजह अभियुक्त मानकर दण्डित कर दिये जाने की स्थिति में उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा व बेवजह दण्डित होने से उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा। परिवादी द्वारा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नीयत से डरा धमकाकर अपने कार्यालय बुलाकर अपना बचाव करने हेतु गलत रूप से लिखवाया जो कि विधि विरूद्ध है एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।अन्त में उन्होने कथन किया किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अप्रार्थी का नाम – श्री मनीष कुमार बाबानी, मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स, सुभाषगंज, नसीराबाद, अजमेर अंकित किया गया है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर का सूचना पत्र दिनांक 31.08.2023 भी उक्त व्यक्ति के नाम से ही जारी किया जाना पाया गया है, जबकि मनीष कुमार बाबानी नाम का कोई व्यक्ति उक्त प्रतिष्ठान/फर्म पर कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को उक्त पत्र दिनांक 31.08.2023 व इसके संलग्न जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना स्पष्ट प्रतीत होता है। इस कारण उनके द्वारा नियत समयावधि में जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में पर्याप्त सक्षम कार्यवाही व नमूने को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया जा सका एवं सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा सक्षम कार्यवाही नहीं की जाकर बचाव हेतु अपना पक्ष नहीं रखा जा सका। किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी अनुकूल है। विचाराधीन प्रकरण के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी को ऐसा अवसर प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2025 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर

3– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

4– श्री हरीश कुमार बाबानी पुत्र श्री अशोक कुमार, मैसर्स–श्री बालाजी ट्रेडर्स, शॉप नं0 10, सुभाषगंज, अनाज मण्डी, नसीराबाद, अजमेर

खाद्य निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.), अजमेर